International Journal of Advanced Research In Multidisciplinary Sciences (IJARMS)
Volume 1 Issue 1, 2018

भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और भारतीय राजनीतिः दशा एवं दिशा

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल
सहायक प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर (उ0प्र0)

संक्षेप

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करने के बजाय स्वयं एक समस्या सी बन चुकी है। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनमानस आजादी पूर्व के संकल्पों से बंधा नही है अथवा आदर्शों, मानक एवं मूल्यों के प्रति निष्ठावान नहीं है, जैसा हमारा पूर्ववर्ती समाज था। अपितु आज का समाज भोगवादी हुआ है। तब भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला राजनीति के विविध पहलुओं को प्रभावित करता सा लगने लगा हैं, आज का समाज, राजनीतिज्ञ अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार का प्रयोग अपने वैभव, ऐश्वर्य और ठाटबाट के लिए कर रहे हैं।

प्रस्तावना

राजनैतिक संस्कृति में शर्म और लज्जा के लिये अब कोई जगह ही नहीं है। परिणामस्वरुप राजनैतिक निर्लज्जताओं की बाढ़ है। जनकल्याण, विकास और प्रगति के सभी मार्ग अवरूद्ध करते हुये सत्ता के सिंहासन में लूट–खसोट करनें वाले और लम्पटों ने स्थायी डेरा जमा लिया है। अपनें हितों की पूर्ति के लिए, राजनीतिज्ञों ने दोहरे–तिहरे मानदण्ड अपना लिये हैं। वे जहाँ होते हैं वहाँ के लोगों का तुष्टीकरण करते रहते हैं। अब उनकी कोई व्यवस्थित नीति नही हैं। मीडिया का प्रयोग राजनीतिक शक्तियाँ अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये कर रही हैं। जाहिर है कि आम आदमी का हित और राजनीति के अन्तः संबंध दिन–ब–दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इनके बीच एक दीर्घ अंतराल सा आ गया है, अंर्तसंबंध समाप्त हो रहे हैं। नये सिरे से उन दोनों के बीच शीघ्र संघर्ष की संभावनायें हैं और इस प्रकार भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला देश की नियति सदृश बन गया है। ऐसे में यदि भारतीय राजनीति का आज का यथार्थ किन्हीं दो शब्दों से परिभाषित हो सकता है तो वह है– अपराधीकरण और भ्रष्टाचार ?

© IJARMS Journal, 2018

यह भी सच है कि राजनीति और अपराध का संबंध सनातन है। किसी भी समाज के राजतंत्र का प्रमुख कर्म ही यह है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखे, लोगों को विपथगामी होने से रोके, दुर्व्यवहारियों और अपराधियों को नियंत्रण में रखे और यथोचित दण्ड दे। जब कानून और व्यवस्था टूटती है तो वह अपराध की स्थिति होती है। राजतंत्र का दूसरा पक्ष है समाज की बाहरी आक्रमणों से रक्षा। बाहर से आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं, तो उन्हें भी अपराधी ही गिना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश राज में हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी अपराधी ही घोषित किये गए और दण्डित किये गये किंतु वही जेल ग्रेजुएट, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे शासक बने। जो ब्रिटिश राज की नजरों में अपराधी थे ही प्रजा की दृष्टि में पूज्य। अतः इस दृष्टि से अपराध एक सापेक्षिक संबोध है।

राजनीतिक अपराधों को हमें उन अपराधों से भिन्न करना होगा जो व्यक्तिगत हित–साधन के लिये किए जाते हैं। सामाजिक हितों का हनन करने वाले सामान्य अपराध जब राजनीति का आश्रय पा लेते हैं तो राजनीति का अपराधीकरण होने लगता है। ऐसी स्थिति में राजतंत्र कानून व्यवस्था को बनाये रखने के अपने धर्म का निर्वाह करने के स्थान पर स्वयं उस व्यवस्था को खण्डित करने का माध्यम बन जाता है। राजनीति और अपराध का संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का होना चाहिये। लेकिन आज इन दोनों में साठगांठ हो गई है। एक ही व्यक्ति दो विरोधी भूमिकाओं का वाहक बनता जा रहा है। शक्ति व सत्ता के तीन स्त्रोत हैं– बाहुबल या हिंसा, धनबल या पैसा, और बुद्धि बल या ज्ञान। तीनों स्त्रोत एक दूसरे को पोषित करते हैं। बंदूक की नोंक पर आप धन हासिल कर सकते हैं या कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप धन से यदि बंदूक खरीद सकते हैं तो सरकारी फाइलें भी चुरवा सकते हैं और यदि आपके पास सूचनाएं हैं और बुद्धि तथा ज्ञान है तो आप उसका उपयोग कर न्यूक्लियर हथियार तक बना सकते हैं। आज के इस सूचना क्रांति के युग में एक कुशल चोर को नयी टेक्नोलॉजी में दीक्षित होना होगा। इस प्रकार जहां बाहुबल, धनबल और बुद्धि बल व्यक्ति को शक्ति–सम्पन्न बनाते हैं वहीं वे उसे अपराध करने की योग्यता भी बख्शते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि केवल समर्थ व्यक्ति ही अपराध कर सकता है, और समरथ को नहीं दोष गोसाई।

राजनीति के संदर्भ में अपराध को समझने के लिये हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। और किस प्रकार अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है।

अपराध का राजनीतिकरण दो प्रकार से होता है। पहला, जब साधारण अपराध को राजनीति के क्षेत्र में घसीट लिया जाता है और दूसरा, जब राजनीतिक हित–साधन के लिये अपराधियों का सहारा लिया जाता है।

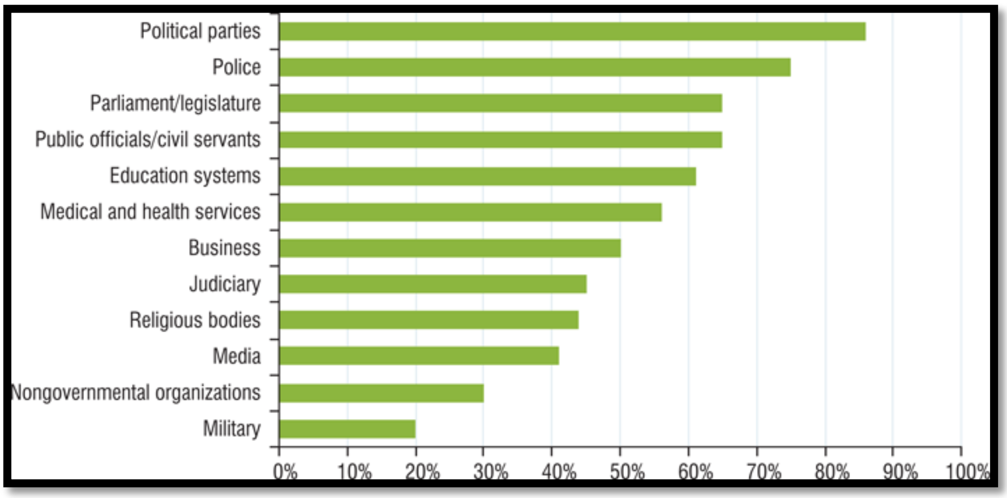

सामान्यतयः राजनीतिक लोगों के साधारण अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही भी राजनीति से प्रेरित घोषित कर दी जाती है। मीडिया भी उसे तूल देता है। बाहुबल के आधार पर राजनीति में घुसे नेताओं के अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। हिन्दी की युवा कवयित्री की हत्या इसी का उदाहरण है। अपराधियों को राजनीतिज्ञों का संरक्षण और भी क्रूर बना देता है और क्रूर अपराधी जब राजनेता की भूमिका धारण करता है तो उसकी क्रूरता और भी भीषण हो जाती है।

राजनीतिकरण का दूसरा पक्ष है राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों का उपयोग राज्य से सुरक्षा मिले या न मिले, राजनीतिज्ञ अपनी सुरक्षा के लिये कुख्यात अपराधियों का सहयोग मांगते हैं। भूमिगत काले धन की अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर पहुंचे ऐसे कितने दाऊद इब्राहिम हैं जो राजनीतिज्ञों का कवच बनते हैं, उनके लिये धन एकत्र करते हैं और एवज में स्वयं संरक्षण भी पाते हैं? ढेर सारी फौज और पुलिस के होते हुए भी दक्षिण के चंदन–तस्कर वीरप्पन को कितने वर्षों तक नहीं पकडा जा सका, तस्कर और सरकार के बीच मध्यस्थता करने वाला एक सम्पादक जब बातचीत के लिये अपने गंतव्य पर पहुँच सकता है और अपनी मुलाकात की तस्वीरें प्रकाशित करवा सकता है तो फिर क्यों नहीं पुलिस उसे धर–दबोच पाई? बिना राजनेताओं के संरक्षण के यह संभव नहीं। हो सकता है पुलिस और शासन–तंत्र भी इस कुकर्म के भागीदार हों।

वर्तमान में इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि हमारी राजनीति का भी उत्तरोत्तर अपराधीकरण होता रहा है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता प्रोफेसर उपेन्द्र वख्शी के अनुसार, यह क्रम स्वयं नेहरूजी के कार्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था। कानून की सत्ता का अवमूल्यन करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे हैं।

शासनतंत्र और राजनेता विधिवत ढंग से भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, शारीरिक हिंसा, षडयंत्र और सत्ता के दुरूपयोग जैसे अपराध बराबर करते आ रहे हैं। मानव अधिकारों के हनन के लिये भी पुलिस को कई बार दोषी ठहराया जाता रहा है। संक्षेप में राजनीति के अपराधीकरण के निम्नलिखित संकेतक हैं–

1. राजनेताओं और सरकारी अफसरों में व्याप्त भ्रष्टाचार जिससे सरकार को करोडों रूपयों का नुकसान होता है। ऐसे उदाहरणों की भरमार है। भ्रष्टाचार पर ढेरों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं।

2. राजनीति में हिंसक साधनों का और काले धन का बढता हुआ उपयोग भी किसी से छुपा नहीं है।

3. अपराधियों का राजनीति में प्रवेश एक आत बात हो गई है। हमारी विधायिकाएं दुश्चरित्रों का आश्रय–स्थल बनकर रह गई हैं।

4. चुनावों में होने वाला बेहिसाब खर्च, इतना पैसा कहां से आता है? और जब कोई प्रत्याशी इतने धन का निवेश करता है तो सत्ता में आने पर वह मूल धन के साथ पूरा ब्याज भी वसूल करता है। आया राम गया राम की जो परम्परा सन साठ के दशक से प्रारंभ हुई वह आज भी एक विचित्र रूप धारण कर चुकी है। इससे सरकारों की स्थिरता और कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पडा।

मोटे तौर पर, चुनावों में अपराधीकरण का अर्थ निम्नवत है,–

1– राजनीतिज्ञों द्वारा 'पैसा' और 'बाहुबल' का प्रयोग, (विशेषकर चुनाव के दौरान)

2– सत्ता में रहने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा अपराध में सहायता और बढावा देना, अपराधियों को शरण देना, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की कार्यवाही में भी दखल दी जाती है।

3– प्रशासन का राजनीतिकरण, विशेषकर पुलिस विभाग का, इसकी वजह से प्रभावशाली राजनीतिज्ञों को दखल अंदाजी करने दी जाती है और कई बार तो उन्हें विशेष सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती है।

4– हत्या, लूटपाट, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त व्यक्तियों का राज्यसभा और लोकसभा में चयन।

5– सरकार में अपराधियों को प्रतिष्ठित पद या सम्मान मिलना जैसे, मंत्री या राज्यपाल बनना आदि।

इस तरह, आज हम न सिर्फ राजनीति के अपराधीकरण का सामना कर रहे हैं बल्कि उससे भी घृणित अपराधियों के राजनीतिकरण का भी मुकाबला कर रहे हैं।

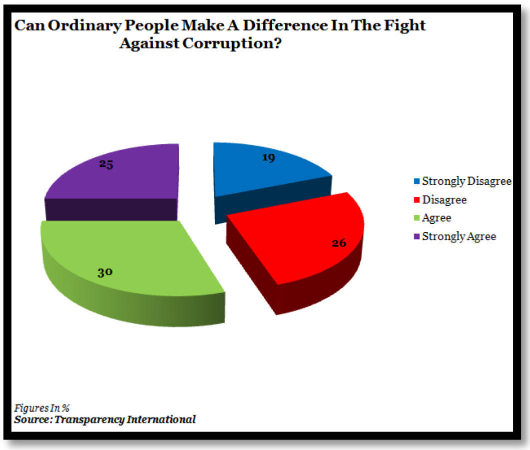

वर्तमान में भारतीय राजनीति कि स्थिति यह है कि अब अच्छे लोग इसमे आना नही चाहते है। राजनीति में भ्रष्टाचार चरम पर है। दल बदल के लिए बनाया गया कानून प्रभावी नही हो पा रहा है। आज पैसे के बल पर किसी भी दल के सांसद विधायक को खरीदा जा सकता है। राजनीति के अपराधीकरण का परिणाम यह है कि अब संसद और विधानसभावों कि गरिमा घटी है। वहां अब लात घूसे मेज कुर्सी सब चलती है, गाली गलौज एवं मारपीट तो आम बात हो गई है। चुनाव आयोग राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए नियम तो बनाए हैं। लेकिन वह भी अबतक इसे रोकने में असमर्थ ही रहा है।

जब तक पुरानी पीढी के लोग राजनीति में थे, तब तक राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का प्रभाव इतना दृष्टि गोचर नहीं हुआ। 1967 में देश भर में हुए चतुर्थ चुनाव काल में पहली बार कांग्रेस को काफी विरोध झेलना पडा। चुनाव के परिणामों ने एक दल–महा प्रबल की छवि को धूमिल किया। उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई और विरोधी दलों की संयुक्त विधायक दल के रूप में जीत हुई। चुनाव में उतरे सभी दलों ने जातियों और धार्मिक समुदायों को वोट के खजाने के रूप में देखना प्रारंभ किया और इस दृष्टि से देश में जातिवाद का जैसे पुनर्जन्म हुआ। आज स्थिति यह है कि जहाँ सामाजिक दृष्टि से जाति टूट रही है, वहीं राजनीति के क्षेत्र में उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। देश का कोई ऐसा दल नहीं है जो अपनी चुनावी रणनीति में जाति को प्रश्रय न देता हो। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई संरक्षण की नीति ने जाति की संस्था का उपयोग समाज को विभक्त कर अपने शासन को प्रशस्त करने के उद्देश्य से किया था। इस निहित उद्देश्य की अनदेखी कर स्वतंत्र भारत में भी उस नीति का जारी रखना आज कष्ट का कारण हो गया है। आज राजनीति में व्यापार होने लगा है, लोग सौदेबाजी करने लगे हैं। विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति–पूजा होने लगी है। वफादारी पार्टी के प्रति होने के स्थान पर परिवार के प्रति होने लगी है। इन बदलते प्रतिमानों में यदि पुराने आदर्श ढह रहे हैं और नये विमर्श उभर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है।

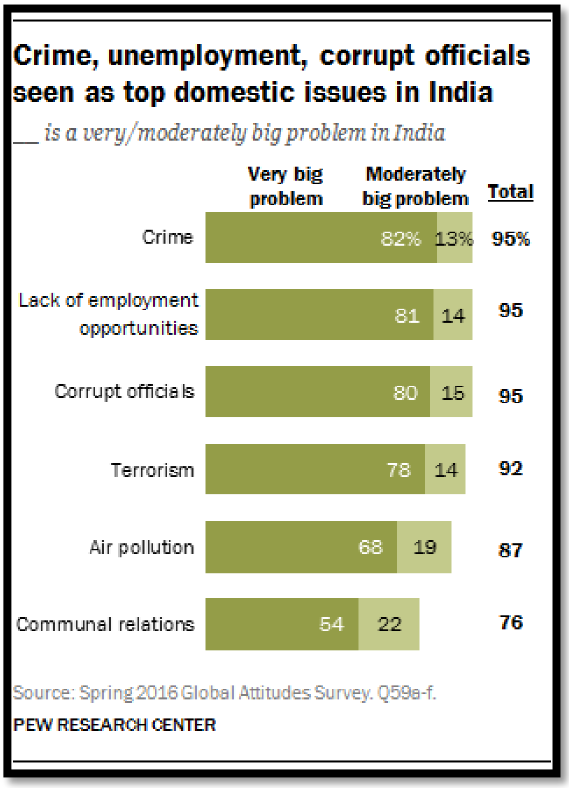

लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों की संख्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब एक पार्टी के बदले कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनने लगी, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों में इतने अपराधी भर पड़े हैं कि उनकी कोई गणना भी नहीं कर सकता है। तर्क दिया जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक उसे अपराधी कैसे कह सकते हैं। पिछले अनेक वर्षों से तमाम संगठन अपराधियों के निर्वाचित होने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर भी विधानसभाओं तथा संसद में अपराधियों की संख्या कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है। कोई भी यह नहीं बताता है कि जनता आखिर अपराधियों को क्यों चुन कर भेजती है। यह तो तय है कि उनके गले पर अपराधियों की बन्दूकें नहीं लगी होतीं । और तो और अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके जीतने की उम्मीद भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार जब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाशा जाएगा कि आम जनता ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं को छोड़कर अपराधियों को ही वोट क्यों देती है? तब तक अपराधियों को निर्वाचित होने से नहीं रोका जा सकता है। यह भी तय है कि अपराधियों को निर्वाचित होने से रोकने के लिये बनाए जाने वाले कानून एक दिन स्वयं लोकतंत्र का ही गला घोंट देंगे। एक और चौंकाने वाली बात है कि स्विस सरकार के नवीन घोषणा के अनुसार यदि भारत सरकार उनसे मांगे तो वह यह बता सकते हैं कि उनके बैंकों में किन भारतीयों के कितने पैसे जमा है। अब तो

यह सभी को पता चल चुका है उन बैकों में सर्वाधिक पैसा भारतीय नेताओं व काले बाजारियों का जमा है।

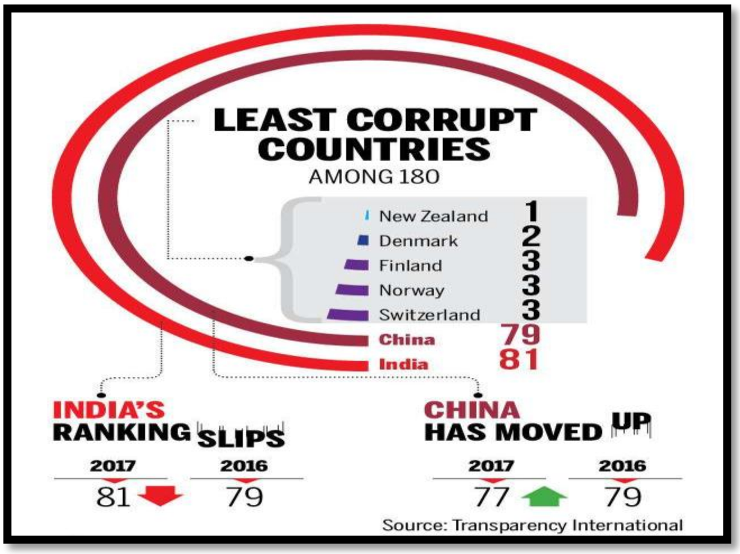

अब तो यह भी तय समझा जाना चाहिए कि इन भ्रष्टाचारियों ने जिनमें नेता, अधिकारी, इनके चमचे, इनके रिश्तेदार आदि सभी शामिल हैं के विरुद्ध यदि किसी ईमानदार अधिकारी, पत्रकार अथवा सामाजिक कार्यकर्ता ने उंगली उठाई तो उसे भी मंजुनाथन, सत्येंद्र दूबे तथा अमित जेठवा आदि राष्ट्रभक्तों की ही तरह अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। जिहाजा अब यदि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो सर्वप्रथम देश की राजनीति से भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का संफाया करने की जरूरत है। जनता तथा आम मतदाता यह बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसके क्षेत्र की पंचायत से लेकर संसद तक का नुमाईंदा राजनीति के क्षेत्र में अपनी सक्रियता अथवा अपने निर्वाचन से पूर्व क्या आर्थिक हैसियत रखता था और अब कुछ ही समय में अथवा कुछ ही वर्षों में वह आर्थिक रूप से कितना संपन्न हो चुका है।

मंहगाई के इस दौर में जबकि एक व्यक्ति का रोटी खाना व साधारण तरींके से उसका परिवार चलाना दूभर हो रहा है, ऐसे में जनता के समक्ष चुनाव के समय हाथ जोड़ने वाला तथा स्वयं को समाजसेवी बताने का ढोंग करने वाला कोई राजनैतिक कार्यकर्ता यदि आए दिन अपनी संपत्ति बढ़ाता ही जा रहा है अथवा उसका रहन–सहन असाधारण होता जा रहा है तो जनता को स्वयं समझ लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति, समाजसेवी या नेता नहीं बल्कि हमारे देश में लगी भ्रष्टाचार रूपी दीमकों के झुंड का ही एक प्रमुख हिस्सा है और ऐसी दीमकों को अपने मतों द्वारा मसल देने में ही जनता, समाज तथा देश का कल्याण निहित है।

अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों को संसद और विधान सभाओं में जाने से रोकने के लिए देश कि जनता का जागरूक होना अति आवश्यक है, अगर वे

दागी लोगों को वोट न दे तो इससे निजात पाया जा सकता है, इस समय आशा की किरण देशर का युवा है और उम्मीद अब इस देश के युवाओं से है, जो हिम्मत कर स्वच्छ छवि के लोगों को वोट देकर अपराधियों को सबक सिखा सकते हैं। अन्यथा इस देश में देर –सबेर हर तरह के अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। समय आ गया है जब इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाए। हालांकि समाज में परिवर्तन कई दिशाओं से आता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, कुछ संभावित और कुछ ऐसे जिनकी पहले से कोई कल्पना भी नहीं होती।

सन्दर्भ सूची

1 सी0एम0 झा, भ्रष्टाचार : समस्या ओर समाधान, राधा कृष्ण प्रकाशन ,जगतपुरी, दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या–32,33,34

2 prernamagazine.com/april-september-2011/vimarsh3.html

3 चंदन मित्रा, भ्रष्ट समाज, किताब घर प्रकाशन, अंसारी रोड, नई दिल्ली, 2010, पृ0सं0–18

4 देव प्रकाश चौधरी, लोकनायक अन्ना हज़ारे ओर जन लोकपाल बिल, नई दिल्ली, हिन्द पाकेट बुक्स ,जोर बाग लेन, 2011 पृ0सं0–69.74

5 प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा जुलाई 2006 पृष्ठ 2284, 85, 86 जनवरी–2008 पृष्ठ–1047, 48, 49, 50 फरवरी–2007 पृष्ठ–1247

6 भारत 2012, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ 354, 55, 57

7 भारत 2013, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली पृष्ठ 254, 55, 57

8 **डॉ0 शंकर दयाल शर्मा,** चेतना के स्रोत, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 1993 पृष्ठ 16–17

9 **भारत का संविधान–एक परिचय,** डी0डी0 बसु, 8वॉ संस्करण 2002 व बाधवा एण्ड कं0 नई दिल्ली पृष्ठ 162, 163, 164

10 jktuhfr dk vijk/khdj.k ;k vijk/k dk jktuhfrdj.k

11 http://www-deshbandhu-co-in/newsdetail/4185/9/199

12 http://www.visfot.com/old12/index.php?news=874

13 edfilenews.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

14 hi.wikipedia.org/wiki/ orum.jagranjunction.com/author/forum/

15 http://visfot.com/old12/index.php?category=4&pg=20

16 redfilenews.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

17 www.kharinews.com/index.php?option=com_xmap&view...

18 gajendra-shani.blogspot.com/2012/01/blog-post_25.html

19 http://myhindiforum.com/archive/index.php/t-3539-p-19.html

20 mylostindia.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

21 Corruption in India By K. N. Gupta –foreword in N. vital ..Anmol publications PVT. LTD. New delhi p-27-56

22 hi.wikipedia.org/wiki/भारत_में_भ्रष्टाचार

23 ़himanshushekhar.in/

24 www.pravakta.com/raja-bhaiya-mere-symptom-disease-criminalization-o...

25 Corruption in Indian politics and bureaucracy-Satyavan Bhatnagar, S. K. Sharma, Panjab University. Directorate of Correspondence Courses - 1991 - 199 pages - Snippet view Ess Ess Publications, 1991 Original from ISBN 8170001234, 9788170001232 p-43-87

26 राजनीति की कठपुतली बन गये हैं नेता

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.in/2010/01/blog-post_07.html

27 mylostindia.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

28 http://bhadas4india.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2011-06-12-17-53-41&catid=34:headline

29 Bhaskar.com

30 **दैनिक जागरण,** 30 –01–2013, कानपुर संस्करण

31 **अमर उजाला,** 03–02–2012, कानपुर संस्करण

32 **द हिन्दू ,** 17–02–2013, दिल्ली संस्करण

33 **दैनिक जागरण,** 11 –04–2013, कानपुर संस्करण

34 **दैनिक जागरण,** 28 –02–2013, कानपुर संस्करण

35 **दैनिक जागरण,** 17 –04–2013, कानपुर संस्करण

36 **दैनिक जागरण,** 04 –01–2013, कानपुर संस्करण

37 **अमर उजाला,** 04–02–2012, कानपुर संस्करण

38 **अमर उजाला,** 09–02–2013, कानपुर संस्करण

39 **द हिन्दू** , 17–02–2013, दिल्ली संस्करण

40 **द हिन्दू** , 10–03–2013, दिल्ली संस्करण

41 **द हिन्दू** , 19–02–2013, दिल्ली संस्करण

42 **द हिन्दू** , 20–02–2013, दिल्ली संस्करण

43 **द हिन्दू** , 02–05–2013, दिल्ली संस्करण

44 **राष्टीय सहारा** , 29–01–2013, कानपुर

45 **अमर उजाला,** 03–02–2012, कानपुर संस्करण

46 **अमर उजाला,** 07–02–2012, कानपुर संस्करण

47 **अमर उजाला,** 27–03–2012, कानपुर संस्करण

48 **अमर उजाला,** 07–04–2012, कानपुर संस्करण

49 **दैनिक आज,** 19 –03–2012, कानपुर संस्करण

50 **दैनिक हिन्दुस्तान,** 21 –02–2013, कानपुर संस्करण

51 **दैनिक हिन्दुस्तान,** 03 –04–2013, कानपुर संस्करण

52 **दैनिक हिन्दुस्तान,** 28 –01–2013, कानपुर संस्करण

53 **दैनिक हिन्दुस्तान,** 11 –04–2011, कानपुर संस्करण

54 **दैनिक हिन्दुस्तान,** 03 –05–2012, कानपुर संस्करण

55 think thank